

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— मृत्यु अन्त्येष्टि सहायता योजना
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण— पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किये जाने के उद्देश्य से उसके आश्रितों को एक मुश्त अन्त्येष्टि व्यय एवं तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता—1—इस योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को लाभान्वित किया जाना है जिसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक निर्माण श्रमिक मृत्यु की तिथि पर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह लाभ आत्म हत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा परन्तु यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसे अथवा उसके आश्रितों को बोर्ड द्वारा संचालित दुर्घटना सहायता योजना अथवा अन्य किसी शासकीय योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ अनुमन्य किया गया हो तो उसे एक लाख का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
2— मृत्यु होने के 01 माह के अन्दर आवेदन पत्र देना होगा, अधिकतम 03 माह उपसचिव के अनुमोदनोपरान्त।
3—लाभार्थी श्रमिक की बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— **एम्बुलेंस सहायता योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण— पंजीकृत निर्माण श्रमिक के इलाज हेतु कार्य स्थल, निवास स्थल से चिकित्सालय तक एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने की स्थिति 10 कि0मी0 की दूरी तक 300/- रू0 तथा 10 कि0मी0 की दूरी से अधिक की दूरी पर 10 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से अधिकतम 600/- रू0 अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
10. **योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1-** इस योजना के अन्तर्गत उपयोग में लायी जाने वाली एम्बुलेंस पर वास्तविक व्यय होने वाली धनराशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की दरों से अधिक नहीं होगी। 2- परिवार से तात्पर्य लाभार्थी श्रमिक उस पर आश्रित माता-पिता, पति-पत्नी एवं उसके सबसे कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री से होगा। 3-पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 4- किराये पर ली गयी एम्बुलेंस की रसीद जिस पर एम्बुलेंस का पंजीयन नं0 तथा मालिक/चालक का मो0 अथवा दूरभाष न0 तथा तिथि, समय एवं की गई यात्रा का विवरण अंकित होगा। 5- उक्त किराये की रसीद उस चिकित्सालाय द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये जहां रोगी का इलाज हुआ हो। 6- एम्बुलेंस की यह सुविधा केवल आवास अथवा कार्य स्थल से अस्पताल तक जाने की ही होगी, वापसी पर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। 7- लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में बैंक खाता नं0 शाखा इत्यादि का भी विवरण अंकित किया जायेगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमामन्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।